

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की
अंतिम तिथि-12.05.2026

विज्ञापन संख्या-07 / 2026

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों के विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी विभागों में सहायक प्राध्यापक नियमित नियुक्ति परीक्षा।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक-379(9) दिनांक-13.10.2025, के द्वारा सरकारी चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों-शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय, धनबाद, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, जमशेदपुर, शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग, मेदिनीराय चिकित्सा महाविद्यालय, पलामू तथा फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय, दुमका के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में सहायक प्राध्यापक के कुल-90 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु संसूचित रिक्तियों के आधार पर प्राप्त अध्याचना एवं झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018, झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC), नई दिल्ली द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु वांछित योग्यता, कार्यानुभव आदि के संबंध में Medical Institutions (Qualifications faculty) Regulation, 2025 के अनुरूप अभ्यर्थियों से आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध One Time Registration (OTR) System के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. विभागवार/कोटिवार अध्याचित रिक्तियों की विवरणी निम्नवत् है:-

Sl. No.	Name of Post	Total Vacancy	Vertical Reservation						Horizontal Reservation
			UNR	EWS	ST	SC	BC-I	BC-II	PwD
	Assistant Professor								Locomotive
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nephrology Deptt.	10	05	00	03	01	01	00	01
2.	Cardiology Deptt.	10	05	00	03	01	01	00	01
3.	Neurology Deptt.	10	05	00	03	01	01	00	01
4.	Gastroenterology (Surgical) Deptt.	08	04	00	02	01	01	00	01
5.	Neurosurgery Deptt.	20	09	01	05	02	02	01	01
6.	Urology Deptt.	04	02	00	01	00	01	00	01
7.	Cardio Vascular Thoracic surgery Deptt.	04	02	00	01	00	01	00	01

8.	Plastic and Reconstruction surgery and Burn Unit Deptt.	04	02	00	01	00	01	00	01
9.	Oncology (Medical) Deptt.	10	05	00	03	01	01	00	01
10.	Oncology (Surgical) Deptt	10	05	00	03	01	01	00	01
Total		90	44	01	25	08	11	01	10

नोट:- (a) कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

3. वेतनमान — **रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रु0 - 6600**

(7th Pay Matrix, Level-11)

4 पद — स्थायी

5. परीक्ष्यमान अवधि — 2 (दो) वर्ष

6. Superannuation age — 67 Years

7. अनिवार्य अर्हता:-MEDICAL INSTITUTIONS (QUALIFICATIONS, OF FACULTY) REGULATIONS, 2025 द्वारा निर्धारित योग्यता निम्नवत् है:-

Sl.No.	Department	Academic Qualification
1.	Nephrology Deptt.	D.M./DNB/DrNB (Nephrology)
2.	Cardiology Deptt.	D.M./DNB/DrNB (Cardiology)
3.	Neurology Deptt.	D.M./DNB/DrNB (Neurology)
4.	Gastroenterology (Surgical) Deptt.	M.Ch/DNB/DrNB (Surgical Gastroenterology)
5.	Neurosurgery Deptt.	M.Ch/DNB/DrNB (Neuro surgery)
6.	Urology Deptt.	M.Ch/DNB/DrNB (Urology)
7.	Cardio Vascular Thoracic surgery Deptt.	M.Ch/DNB/DrNB (Cardio Vascular and Thoracic surgery)
8.	Plastic and Reconstruction surgery and Burn Unit Deptt.	M.Ch/DNB/DrNB (Plastic and Reconstruction surgery)
9.	Oncology (Medical) Deptt.	D.M./DNB/DrNB (Oncology)
10.	Oncology (Surgical) Deptt	M.Ch/DNB/DrNB (Surgical Oncology)

Teaching and research experience:-Have completed the Basic Course in Biomedical Research from recognized medical institution designated by the Commission.

8. उम्र गणना की संदर्भ तिथि :- **01.08.2025**

(a) न्यूनतम उम्र सीमा :- **30 वर्ष।**

- (b) अधिकतम उम्र सीमा :- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या-421(9) दिनांक-22.11.2018 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत् होगी:-

Category	Maximum Age
UNR	45
BC-I/ BC-II	47
ST/ SC	50
Female (UNR/BC-I/BC-II)	48
EWS	45
Handicapped	10 years above the maximum age stated.
State Govt. employee	No Age Bar

(c) झारखण्ड चिकित्सा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 के आलोक में झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए उम्र सीमा का बंधेज नहीं होगा। इसके लिए नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

9. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया** :- झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018 का अध्याय-4 एवं Annexure 'B' में चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति का मापदण्ड हेतु प्रावधानित नियम के अनुसार झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार चयन किया जायेगा।
- (i) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मुल्यांकन किया जायेगा।

(क) तीन एम0बी0बी0एस0 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग:-	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
अंक-	5	4	3	2	1

नोट:- एक या अधिक एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले में, खास एम0बी0बी0एस0 परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशांसा के अनुसार, आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय-समूह में प्राप्तांक:-	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
	5	4	3	2	1

नोट:- आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय-समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में, अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जायेगा।

- (ग) एम0डी0/एम0एस0 अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता। :- 10 अंक
- (घ) उसी स्पेशलिटी में पी0एच0डी0, डी0एम0, एम0सीएच0 :- 10 अंक
- (ङ) साक्षात्कार :- 06 अंक
- (च) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रतिवर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) 10 अंक

नोट:- ऐसे एम0आर0सी0पी0, एफ0आर0सी0एस0 आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जायेगा।

(iv) तीन विश्वविद्यालय एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1 (एक) अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

(v) निम्न वर्णित मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी के निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आवंटित किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जायेगा, जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष, जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

(क) अधिकतम 2 (दो) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी झारखण्ड स्टेट मेडिकल जर्नल में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 1 (एक) अंक।

(ख) अधिकतम 10 (दस) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2 (दो) अंक।

(vi) न्यूनतम अर्हतांक:- सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10. झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021 अधिसूचना संख्या-552(9), दिनांक-09.12.2021 के अनुसार सर्वप्रथम झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी में से नियुक्ति की जायेगी, जो इस हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National medical Commission) के मापदण्डों को पूर्ण करते हैं।

तदोपरान्त विभागवार शेष रिक्त पदों पर झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्तें) नियमावली-2018 के अनुरूप नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

11 **आरक्षण का लाभ:-** आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(क) **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश :-**

i. आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

ii. शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-235, दिनांक-10.10.2019 द्वारा अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आब्रजित महिलाओं को आब्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।

(ग) जाति प्रमाण पत्र आवेदक/आवेदिका के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।

(घ) जाति प्रमाण-पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है :-

- (a) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति :- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2669, दिनांक-10.05.2023 द्वारा निर्धारित प्रपत्र-5/प्रपत्र-V (संशोधित/Amended), पत्रांक-1361, दिनांक-03.03.2022 प्रपत्र-4/प्रपत्र-IV (संशोधित/Amended) एवं पत्रांक-1754, दिनांक 25.02.2019 द्वारा विहित प्रपत्र-IV/प्रपत्र-4 में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:-केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

- (b) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-XI (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 के अधीन प्रपत्र-XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोट:-

- (i) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- (ii) राज्य सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form- XI Required अंकित हो तो Form- XI (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।
- (c) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-I) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध एवं अद्यतन "आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र" के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।
- (d) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में, नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (e) आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ड) **निःशक्तता का लाभ :-**

- (i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। एक बार नियत प्रविष्टि के पश्चात् निःशक्त श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन के अंतिम तिथि के पश्चात् आयोग कार्यालय में प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ii) निःशक्तता का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-2249, दिनांक 03.04.2018 के आलोक में सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण की सुविधा अनुमान्य होगी। संबंधित संकल्प एवं विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

12. (क) **कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (i) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (ii) Impersonating, or
- (iii) Procuring impersonation by any person, or
- (iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/h candidature for the selection, or
- (vii) Using unfair means during the test, or
- (viii) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (xi) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (a) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate,
 - and/or**
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (c) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ख) **कदाचार के लिए कार्यवाही :-**कदाचार झारखण्ड प्रतियोगिता परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 के संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ दण्डात्मक/अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा

(ग) **पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-**

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

13. परीक्षा शुल्क :-

- (a) परीक्षा शुल्क Credit Card/Debit Card/Net Banking/Wallet/Bharat QR/UPI के माध्यम से Payment Gateway द्वारा लिया जाएगा। जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
- (b) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क **रु0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।
- (c) **परीक्षा शुल्क में छूट-** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क **रु0-150/- (एक सौ पचास)** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**
- (d) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट अनुमान्य है।

14. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (i) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर One Time Registration (OTR) System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (ii) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (iii) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व “How to Register for OTR” आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.-+919431301636, +919431301419 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (iv) One Time Registration (OTR) System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदन अस्वीकृत कर दी जायेगी।
- (v) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (vi) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।

- (vii) जन्म तिथि-आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **e-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, e-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, e-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।
- (ix) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (x) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (xi) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **“Download Filled Application Section”** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे।
- (xii) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र यथा-शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र तथा जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आदि अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (xiii) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।
- (xiv) **Online Application** में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी **Online Application** भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार **Online Application** में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।
- (xv) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी **Online Application** में प्रविष्ट करेंगे अथवा तत्समय अनापत्ति प्रमाण पत्र **(NOC)** निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक **Applied for NOC** संबंधी सूचना ऑनलाईन आवेदन में प्रतिष्टि करेंगे तथा समर्पित आवेदन की मूल प्रति **Document Verification** के समय में प्रस्तुत करेंगे।
- (xvi) ऑनलाईन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित **Technical Help Line No.** पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है:-**+918929883832** परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए **Payment Helpline No.-+918929883832** एवं **E-mail Id:-helpdesk@jpscotr.com** पर संपर्क किया जा सकता है।
- (xvii) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (xviii) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(xix) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति कंडिका-14(xx) के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित प्रति निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट एवं हाथों-हाथ आयोग कार्यालय के पते परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001 पर निर्धारित तिथि-25.05.2026 अपराह्न 05:00 बजे तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या-07/2026 तथा पद का नाम-....., OTR No....., Registration No....., मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है। हार्ड कॉपी जमा करने के साथ-साथ OTR में वांछित Document Upload करेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

(xx) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप निम्नलिखित सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

1. जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2. भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से एमबीबीएस डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र (उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण सहित)।
3. विज्ञापन की कंडिका-07 में वर्णित **Academic Qualification** संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र तथा **Teaching and research experience** संबंधी प्रमाण पत्र।
4. सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव प्रमाण पत्र जो नियंत्री पदाधिकारी स्तर से निर्गत हो।
5. जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में संबंधित विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ जर्नल्स की प्रति।
6. जाति प्रमाण पत्र/ आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
7. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
8. मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
9. अनापत्ति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग कार्यरत चिकित्सकों के लिए अनिवार्य)।

नोट—साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका-14(xx) के अनुरूप सभी वांछित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

15. अंतिम तिथि :-

- (a) आवेदक **One Time Registration System (OTR)** के माध्यम से दिनांक-28.04.2026 से दिनांक-12.05.2026 संध्या 05:00 बजे तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं।
- (b) दिनांक-12.05.2026 के बाद दिनांक-14.05.2026 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।